पी.बी./अपील/5/2018-19

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण
प्रधान न्यायपीठ

फोन/Phone: 011- 23385097
फैक्स/Fax: 011-23387713
ई.मेल /E-mail:
cat-delhi@nic.in

61／35 कॉपरनिकस मार्ग
नई दिल्ली–110001
दिनांक :07.05.2018

अपील संख्या 05/2018-19

श्री संजय कुमार ... अपीलकर्ता

नोडल अधिकारी, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ... प्रत्यर्थी

तथ्य :

यह प्रथम अपील दिनांकित 27.04.2018, सी.पी.आई.ओ. के दिनांक 15.03.2018 के उत्तर के प्रति प्राप्त हुई है । मैंने इसमें, सी.पी.आई.ओ. के उत्तर के साथ ही साथ अपीलकर्ता द्वारा फाइल की गई अपील का भी अवलोकन किया है ।

स्पष्टतः, अपीलकर्ता द्वारा ऐसी कोई भी सूचना नहीं माँगी गई है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(f) के अंतर्गत परिभाषित है, जो निम्नवत है :

"सूचना" का अर्थ है कोई भी सामग्री किसी भी रूप में जिसमें, रिकॉर्ड, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, विचार, सलाह, प्रेस रिलीज़, परिपत्र, आदेश, लोग्बुक, करार, रिपोर्ट, पेपर्स, सैंपल, मॉडल्स, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखी डाटा सामग्री तथा किसी निजी निकाय से संबंधित ऐसी सूचना जिसे उस समय प्रभावी किसी कानून के अंतर्गत किसी लोक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता हो, सम्मलित हैं।

मुझे सी.पी.आई.ओ. के आदेश में कोई त्रुटि नजर नहीं आती ।

इस प्रकार इस अपील का निपटान किया जाता है ।

यदि अपीलकर्ता, इस निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो, वे द्वितीय अपील प्राधिकारी- केन्द्रीय सूचना आयोग, द्वितीय तल, बी विंग, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 के समक्ष द्वितीय अपील फाइल कर सकते हैं ।

(गुरमीत सिंह)
रजिस्ट्रार/प्रथम अपील प्राधिकारी